Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

22-04-2018

खण्डपीत क0 28

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0 आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री धीरसिंह तोमर

उप0।

फरियादी हवलदार सिंह एवं आहत सरोज तथा राजो उप0। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिववता श्री केंoपीo राठोर द्वारा की गई।

आज दिनाक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु द०प्र०स० की घारा 320(2) के अंतर्गज राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई। नाबालिंग आहत राजों की ओर से उसके पिता फरियादी हवलदार द्वारा द०प्र०स० की घारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर राजों की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

सर्वप्रथम द०प्र०स० की धारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत राजाबाई अवयस्क है एवं फरियादी हवलदार सिंह आहत राजो बाई का पिता होकर राजो बाई का प्राकृतिक संरक्षक है, अत उक्त आवेदन स्वीकार किया गया एवं राजा बाई की ओर से फरियादी हवलदारसिंह को राजीनामां करने की अनुमति प्रदान की गई।

तत्परचात् राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपीगण के विरूद्ध भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2, 34 के अंतर्गतं अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उवत धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी हवलदार सिंह एव आहत सरोज तथा राजीबाई न द्वलाशरिसिंह"

रमशीज

इंग्लो ()

काशवामिं

मीरा वाई

*निकार्*के

3dentifludaymo

आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यवत किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी केशव, मुन्नीबाई एवं मीरा को भावदं०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2, 34 के आरोप से दोषमुवत किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 08.05.2018 निरस्त की जाती है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अत उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य क.1-7768

亚2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क० 23 गोहद